मेरे प्रजनन अधिकारों का आदर कीजिए

जन्म लेना

सुरक्षित रहना

और

इज्जत के साथ

चुनने का अधिकार

उत्पादक और संतुष्ट एवं आनंदपूर्ण जीवन बिताने और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है। इसी के साथ यह जरूरी है कि सभी महिलाऐं अपने स्वास्थ्य संबंधी सभी पहलुओं, विशेष रूप से अपनी जनन क्षमता का नियंत्रण करें। महिलाओं के प्रजनन संबंधी अधिकारों की उपेक्षा करने से सार्वजनिक एवं निजी जीवन में उनके अवसर बहुत कम हो जाते हैं। इनमें शामिल हैं शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के अवसर। महिलाओं द्वारा अपनी जनन क्षमता पर नियंत्रण करने से अन्य अधिकारों के उपभोग का मजबूत आधार बनता है। अतः सरकार को ऐसी सामाजिक मानव-विकास, शिक्षा और रोजगार की नीतियों का अनुसरण करना चाहिए, जिनसे महिलाओं की गरीबी दूर हो और वे बीमारियों का शिकार न हों और अपना स्वास्थ्य सुधार पायें।

बीजिंग कार्रवाई मंच 1995

भारत की तस्वीर

- हर वर्ष लगभग एक लाख महिलाऐं गर्भधारण से जुड़ी बीमारियों से मरती हैं।
- बीस प्रतिशत गर्भधारण बिना सोचे समझे होते हैं।
- एचआईवी/एड्स पीड़ित 40 लाख लोगों में लगभग दस लाख महिलाऐं हैं।
- इनमें से एक तिहाई महिलाऐं किशोरियां हैं।

अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण ...

महिलाओं को सर्वोत्तम स्वास्थ्य पाने का अधिकार है। स्वास्थ्य का अर्थ है सम्पूर्ण भौतिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। इसमें शामिल है बिना किसी भेदभाव, दबाव और हिंसा के संतान पैदा करने का निर्णय लेने का अधिकार, जैसा कि मानव अधिकारों में प्रकट किया गया है। उन्हें पुरुषों के समान जीवन भर यह अधिकार होना चाहिए। उत्तरदायी व्यवहार के अन्तर्गत इन अधिकारों को प्रोत्साहन देना सरकार और समाज द्वारा शुरू की गई नीतियों और कार्यक्रमों का आधार होना चाहिए।

बीजिंग कार्रवाई मंच, 1995

मानव अधिकारों के अनुकूल वातावरण बनाना

- मानव अधिकारों के पक्ष में वातावरण बनाना, जो लैंगिक और प्रजनन अधिकारों के प्रयोग का आधार तैयार करता है।
- सूचना और सेवाओं की व्यवस्था करना, जो लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को सुरक्षित, भेदभाव मुक्त, एकान्तिक और गोपनीय वातावरण में पूरा करें।

महिला सशक्तीकरण या महिलाओं को अधिकार प्रदान करना

- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना।
- ग्राम स्तर पर महिलाओं के समुदाय –आधारित समूहों को बढ़ावा देना।
- महिला सशक्तीकरण के विचार को मजबूती प्रदान करना और इसके लिए ऐसी व्यवस्था करना कि पुरुष, महिलाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व को समझें।

प्रजनन स्वास्थ्य सेवा के प्रमुख अंग हैं :

- अच्छी परिवार नियोजन सेवा तक पहुंच, व्यक्तियों और दम्पतियों की प्रजनन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सलाह, और अनचाहे गर्भ की रोकथाम।
- गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित मातृत्व सेवा और गर्भावस्था के दौरान एवं बाद में शिशु की देखभाल।
- बांझपन समाप्त करने की सेवाओं की व्यवस्था।
- असुरक्षित गर्भपात रोकने के उपाय और ऐसे गर्भपात के नतीजों के उपचार की व्यवस्था।
- यौन रोगों सहित प्रजनन संबंधी बीमारियों और एचआईवी/एड्स की रोकथाम।
- किशोरियों को प्रजनन और लैंगिक स्वास्थ्य संबंधी सूचना और शिक्षा विस्तृत एवं संवेदनशील ढंग से प्रदान करके सशक्त बनाना।
- व्यक्तियों और दम्पतियों को सलाह सहित गर्भनिरोधकों, परिवार नियोजन संबंधी सेवाओं की नियमित एवं अबाध उपलब्धता सुनिश्चित करना।

प्रजनन अधिकार और सूचना माध्यम

भारत में विशाल और जीवन्त सूचना माध्यम है, जिसे प्रजनन संबंधी अधिकारों की जानकारी फैलाने के लिए कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सूचना माध्यम के प्रतिनिधि प्रजनन अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं तो भारत में अधिकारों के बारे में लोगों की सोच में बुनियादी परिवर्तन होगा और इस तरह बहस, विचार विमर्श और प्रगति के लिए मजबूत मंच तैयार होगा।

कानूनी समर्थन और सुरक्षा उपाय

स्त्री–पुरुषों के बीच समानता और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है:

- प्रजनन संबंधी अधिकारों की रक्षा के लिए इस विषय में बने कानूनों जैसे कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम (1978) और गर्भस्थ शिशु के लिंग की जांच अधिनियम (1994) को कारगर ढंग से लागू करना।
- कानून लागू करने वाली एजेंसियों को जागरूक बनाना।
- स्त्री–पुरुषों के सम्बन्ध और स्थिति को समझते हुए वर्तमान कानूनों की निरन्तर समीक्षा और उनमें संशोधन करना।
- अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाओं दोनों को अधिक जवाबदेह बनाना।
- अधिकारों के उल्लंघन को दर्ज करना।
- मानव अधिकारों के बारे में शिक्षा और संबंधित संस्थानों के बीच गठबंधन।

अपने प्रजनन अ

प्रजनन फैसलों में समानता का अधिकार

अधिकार...

हर एक को यह फैसला करने का अधिकार है कि यदि शादी करनी है, तो कब, और, क्या बच्चे पैदा करने हैं। लड़का–लड़की दोनों को शादी सोच समझ कर, बिना किसी दबाव के और आपसी सहमति से करनी चाहिए। हर किसी को स्वतंत्रतापूर्वक और जिम्मेदारी के साथ यह फैसला करने का अधिकार होना चाहिए कि कितने बच्चे होंगे और कितने अन्तर से होंगे।

वास्तविकता...

विवाह के लिए कानूनी उम्र 18 वर्ष है। पचास प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। इससे लड़कियों से उनका बचपन छिन जाता है और उन्हें वह भूमिका निभानी पड़ती है जिसके लिए वे जैविक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तैयार नहीं होतीं।

उपचार...

इस तरह की नीतियां और कार्यक्रम तैयार और लागू करने चाहिए जो महिलाओं को अधिकार प्रदान करें और उन्हें अपनी पसन्द के फैसले लेने का अवसर दें।

लैंगिक और प्रजनन सुरक्षा का अधिकार

अधिकार...

हर किसी को लिंग आधारित हिंसा से मुक्त जीवन का अधिकार है। हर एक को भौतिक एवं मानसिक एकता की रक्षा का अधिकार है।

वास्तविकता ...

महिलाऐं अनेक तरह से हिंसा की शिकार होती है: बलात्कार, लैंगिक उत्पीड़न, निकट संबंधियों द्वारा बलात्कार, कन्या–भ्रूण की हत्या, जन्म से पहले लिंग का निर्धारण, महिलाओं का व्यापार, वैश्यावृत्ति और दहेज संबंधी घरेलू हिंसा। बदनामी का भय, समर्थन के अभाव और असंवेदनशील अपराधिक न्याय व्यवस्था के कारण इनकी रिपोर्ट नहीं की जाती।

उपाय...

समाज और विषेष रूप से महिलाओं को उनके लैंगिक सुरक्षा संबंधी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए मंच बनाना और कानूनी व्यवस्था के जरिए उन्हें संवेदनशील, उचित और जल्द न्याय दिलाना।

किशोरावस्था प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार

किशोरावस्था वह आयु है जब लड़के-लड़कियों में शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। वे ज्ञान, आदर्श और कुशलता प्राप्त करते हैं, जो बाद में उनको जीवन में लाभ पहुंचाते हैं। तथापि, सूचना, शिक्षा और सलाह की कमी से वे अनेक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं जैसे एचआईवी/एड्स सहित यौन रोग।

धिकार जानिए

प्रजनन और लैंगिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार

अधिकार...

हर किसी को सुरक्षित और अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिवार नियोजन के तरीके पाने, सुरक्षित मातृत्व, स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के समाधान, बांझपन, यौन रोगों और एचआईवी / एड्स की रोकथाम और इलाज का अधिकार।

वास्तविकता...

लगभग एक लाख महिलाऐं प्रति वर्ष प्रसव के दौरान मर जाती हैं। इनमें से बीस प्रतिशत गर्भधारण अनचाहे होते हैं। यौन रोगों और एचआईवी / एड्स की बढ़ती दर से असुरक्षित सेक्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। एचआईवी / एड्स से पीड़ित लोगों को न केवल बीमारी बल्कि उसके साथ लगी बदनामी भी झेलनी पड़ती है। यह बात विशेष रूप से महिलाओं के बारे में सही है। इससे यह भी पता लगता है कि महिलाओं को फैसले लेने में शामिल नहीं किया जाता।

उपचार...

उच्चकोटि की प्रजनन और लैंगिक स्वास्थ्य सूचना और सेवा हर किसी को उपलब्ध होनी चाहिए और वह संबंधित व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए।

सूचना और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार

अधिकार...

हर किसी को लैंगिक और प्रजनन संबंधी विषयों पर सूचना पाने का अधिकार है ताकि वह उसके आधार पर सोच समझ कर फैसला कर सकें। यह सूचना स्पष्ट, पूरी और संवेदनशील ढंग से प्रकट की जानी चाहिए।

वास्तविकता...

साठ प्रतिशत लड़कियाँ प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ देती हैं। लड़कियों की शिक्षा के रास्ते में बाधक हैं: सामाजिक–आर्थिक कारण, सांस्कृतिक स्थितियां और तथा किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद उनकी सुरक्षा की गारंटी का अभाव। लडके–लड़कियों को पारिवारिक जीवन की शिक्षा देने में संकोच के कारण वे, विशेष रूप से लड़कियां, अनचाहे गर्भ, असुरक्षित गर्भपात, यौन रोगों और एचआईवी की शिकार होती हैं।

उपाय...

स्त्री–पुरुषों को संवेदनशील प्रजनन और लैंगिक स्वास्थ्य संबंधी सूचना और शिक्षा देना।

यह स्वीकार करना आवश्यक है कि किशोरावस्था और लैंगिकता का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। कोई भी कार्यक्रम जो प्रजनन अधिकारों पर विचार करता है उसे किशोरावस्था के लड़के-लड़कियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

'मेरे बच्चा न होने की वजह से महंगे चिकित्सा परीक्षण और पूजा पाठ कराती रही ...'
(चमेली, 22, विवाह के दो वर्ष बीतने के बाद भी संतानहीन)

'मेरे पति और सास-ससुर काफी दहेज न लाने के लिए मेरे साथ रात दिन गाली गलौज और मारपीट करते रहते हैं!
मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती।
(जमना, 19, छह महीने पहले विवाहित)

'अगर मैं नसबंदी कराऊंगा तो मेरा पुरुषत्व समाप्त हो जाएगा।
(विष्णु, 28, अध्यापक, चार बच्चों का पिता)

'मेरे चाचा ने चार वर्ष पहले 500 रु0 में मुझे बेच दिया था ...'
(बनानी, 18, यौन रोग से पीड़ित वेश्या चकलाघर में धकेली गई)

'लिंग परीक्षण के लिए जाने से पहले मैं रोई और मैंने परिवार के सदस्यों से बहुत अनुरोध और प्रार्थना की ण्ण्ण मैं तीसरी बार गर्भवती हुई थी ...'
(पंचायत की महिला सदस्य, दो बच्चों के मानदंड के अन्तर्गत अयोग्य होने से बचने के लिए)

"हमें उन विषयों पर साहस के साथ बोलना चाहिए जो हमें चिन्तित करते हैं : हमें संस्कृति या पारम्परिक आदर्शों का सहारा लेने वाले झूठे तर्कों के दबाव में झुकना नहीं चाहिए... संस्कृति और परम्परा का काम मानव कल्याण का ढांचा तैयार करना है।"

डा॰ नफीस सादिक, पूर्व कार्यकारी निदेशक, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष

महिला एवं बाल विकास निदेशालय, हरियाणा

एससीओः 360-61, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़, दूरभाष : 0172-2604541

आभार : संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष   राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग   स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार